केवल **E-Mail/Fax** द्वारा

।। कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल ।।

E-Mail ID:dmgarhwal@gmail.com /PHONE- 01368-222250/Fax: 222080

संख्याः 1859 / 26-प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0) / 2018, दिनांक पौडी जून 12 ,2018

''आदेश''

उपजिलाधिकारी श्रीनगर के पत्र संख्याः 08 / जे0ए0 / 2017-2018 दिनांक 16.05.2017 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 04.00 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम गजेली सौड़ पट्टी चलणस्यूँ तहसील श्रीनगर के नॉन जेड0ए0खतौनी खाता संख्या 60 खेत संख्या 1897 रक्वा 3.946 है0 एवं खेत संख्या 1950 रक्वा 3.079 है0 मध्ये 0.554 है0 कुल 4.500 है0 श्रेणी 9(3)ख(2) झाड़ी दर्ज सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित कर संस्तुति की गयी है। प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया है जो कि उक्त प्रयोजन हेतु उपयुक्त है।

2. शासनादेश संख्याः 2173 / XVII (2) / 2012-18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 04.00 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी श्रीनगर की आख्या एवं उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम गजेली सौड़ पट्टी चलणस्यूँ तहसील श्रीनगर के नॉन जेड0ए0खतौनी खाता संख्या 60 खेत संख्या 1897 रक्वा 3.946 है0 एवं खेत संख्या 1950 रक्वा 3.079 है0 मध्ये 0.554 है0 कुल 4.500 है0 श्रेणी 9(3)ख(2) झाड़ी दर्ज सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी / तहसीलदार श्रीनगर तद्नुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढवाल।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 सचिव,राजस्व अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2- आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3 नोडल अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग,पौड़ी।
4 अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,श्रीनगर।
5– उपजिलाधिकारी / तहसीलदार,श्रीनगर।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढवाल।

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰
श्रीनगर (गढ़वाल)

ग्राम – गजेली सौड़ पट्टी – बचणस्यूँ-2 परगना – देवलगढ़ तहसील – श्रीनगर जिला – गढ़वाल

फांट (खेवट) खाता नं०	मुन्तखिब (खतौनी) खाता नं०	खातेदार / काबिज का नाम पिता नाम व निवास स्थान	मुद्दत काश्त या कब्जा	हाल खसरा नं०	क्षेत्रफल (है०) में	नाम तोक	गैर मजरुवा शामिल जोत	मालगुजारी	योग	मालिकाना / थोकदारी	किस्म जमीन: तलाऊ	उपजाऊ: अव्वल	उपजाऊ: दोयम	इजरान	कटील	कुल रकबा	विस्तार: कानूनी	विस्तार: गैर कानूनी	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
श्रेणी – 9 (3) ख (2) – जिसमें वृक्ष झाड़ियाँ व लम्बी घास पायी जाती हो।																			
	60	(झाड़ी) उत्तराखण्ड सरकार		11	0.133														
				X	X														
				X	X														
				X	X														
				1897	3.946														
				X	X														
				1950	3.079														
				X	X														
				2756	0.925														
		योग		159	28 · 800														

जिलाधिकारी महोदय ग०० के संख्या 1858/26-प्रशा० अधि० (सा० प्रशा०)/2018 दि० पौड़ी जून 12, 2018 व तहसीलदार श्रीनगर के आदेश दि० 15/6/18 के अनुसार खण्डसिर्द के गंवाणा मोटर मार्ग के कि० मी० 4.00 से सुरखाई गाँव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम गजेलीसौड़ के नाम जे०ड० ख० खाता सं० 60 खेत नं० 1897 रकबा 3.946 है० एवं खेत सं० 1950 रकबा 3.079 है० में से 0.554 है० कुल 4.500 है० श्रेणी 9(3) ख (2) झाड़ी [illegible] भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम स्वीकृत / हस्तान्तरण होने से दर्ज किया।

प्रमाणित प्रति

(मानस मोहन)
10/10/18
रा० उ० नि० [illegible]
तहसील श्रीनगर
जनपद पौड़ी गढ़वाल

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

[illegible] 01